

राजस्थान
 (उपखण्ड अधिकारी)
 सहायक कलेक्टर

2. प्रार्थी श्री को संचालना

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पाना रिपोर्ट भिजाया।

प्रतिपत्ति :-

क्रमांक: सटिश्ता/5-11(23)/2023

दिनांक :-

राजस्थान
 (उपखण्ड अधिकारी)
 सहायक कलेक्टर



क्र.सं.	सौजा	खता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश
1.	भापलपुरा	74,75,76	नाराणीबाई पत्नी स्व. मिर्गाल कृन्डार	नाराणी बाई पत्नी मिर्गाल कृन्डार
				(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)

किये जाने का आदेश दिये जाते हैं :-

वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद राशमी व जिना **वितीर्ण** की जमाबन्दी सम्वत् 2076-77 में खता संख्या 74,75,76, में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में सौजा **भापलपुरा** तहसील निरीक्षक वृत्त **राशमी** की रिपोर्ट तथा तहसीलदार **राशमी** की राजस्व अनुशेषा के आधार पर प्रार्थी के "खता दुबली" प्रार्थना पत्र एवं पत्राक्षी, पत्रार हल्का **आरणी बी**, भू अभिलेख

प्रसं० :- 23 / 2023

:- आदेश :-

प्रशासन गांवों के संग
 अभियान-2023

(प्राप्तान अधिकारी कैम्प कार्ट) कैम्प :- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पट्टन सहायक कलेक्टर राशमी

राजस्थान सरकार

